न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा

बहक श्री शौदानराम s/o दुलाराम
श्री रामकरण
पुत्र श्री पूसाराम
जाति मेघवाल नि. निम्बोला

मुकदमा नं. 17/2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम निम्बोला खसरा नम्बर 216 रकबा 0.0500 हैक्टर किस्म सिवायचक बा०३ (राजकीय भूमि) पर फसल रबी संवत 2074 में श्री शौदानराम s/o दुलाराम रामकरण पुत्र श्री पूसाराम जाति मेघवाल निवासी निम्बोला (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से लिखित व मौखिक कोई जबाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम निम्बोला ख.न. 216 रकबा 0.0500 है० किस्म सिवायचक पर फसल रबी संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति है० का 50 गुणा रूपया 1.00 रु० (रूपये एक रूपया जुर्माना) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड़ एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)
जिला-नागौर (राज०)